HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14457/2020

Satish Sarda S/o Sh. Radheshyam Sarda, Aged About 57 Years, B/c Mahajan, R/o 10-K-17, Navjivan Rc Vyas Colony, Bhilwara, Present Executive Engineer (Charge), Originally Assistant Engineer, City Development Trust (U.i.t.) Bhilwara. (At Present Lodged In District Jail, Bhilwara).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14458/2020

Brahmalal Sharma S/o Sh. Bhawarlal Sharma, Aged About 53 Years, B/c Brahmin, R/o A-4 Near Shri Guest House, Sanjay Colony, Bhilwara (Presently Lodged In District Jail, Bhilwara).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14462/2020

Rameshwar Prasad Sharma S/o Shri Bajraglal Sharma, Aged About 58 Years, By Caste Jangid, Presently Residing At House No. 15, Uit Quarter, R.c Vyas Nagar, Bhilwara, Permanent R/o Village Malikpur Bachera, Tehsil Maalpura, District Tonk. (Presently Lodged In Dist. Jail, Bhilwara).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री नीरज कुमार गुर्जर जरिये वी.सी.। श्री सचिन आचार्य जरिये वी.सी.
For Respondent(s)	:	श्री सुधीर टाक, लोक अभियोजक।

HON'BLE MR. JUSTICE DEVENDRA KACHHAWAHA

Order

18/12/2020

प्रार्थीगण की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना, एसीबी चौकी, टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 299/2020 अपराध अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन),2018 में जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

प्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा में कार्यरत क्रमशः सतीश शारदा, अधिशाषी अभियंता, ब्रह्मालाल शर्मा, अधिशाषी अभियंता, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, अधीक्षण अभियंता द्वारा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के आदेश से विभाग के कार्यालय में एवं भीलवाड़ा के कई अन्य विभागों में निर्माण कार्य श्यामलाल ठेकेदार के माध्यम से कार्य करवाया गया था। उक्त कार्यों के सम्बन्ध में निरन्तर शिकायते प्राप्त हुई जिनमें कार्य समय पर न करने व त्रुटिपूर्ण किये जाने और कार्य की गुणता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इन शिकायतों के सम्बन्ध में समय–समय पर उक्त फर्म को नोटिस भी दिये गये, फिर भी न तो समय पर काम पूर्ण किया गया, न ही गुणवता में सुधार किया गया, जिसके दस्तावेजात पत्रावली पर मौजूद है। इस कारण से उक्त फर्म को पूर्व में वर्ष 2018–19 के लिये कार्य से वंचित किया गया था।

सत्यमेव जयते

यह भी तर्क दिया गया कि पत्रावली के साथ दस्तावेज के पृष्ठ 35 के अनुसार वर्ष 2017–20 के मध्य शिकायतकर्त्ता राहुल डाड का कोई काम नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा के समक्ष लंबित नहीं रहा है और न ही कोई कार्यादेश जारी हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा द्वारा अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा को पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि दिनांक 25.10.2020 को रविवार के अवकाश का अवसर देखकर डस्ट से नींव भरी जा रही थी जिसकी सूचना अधिशाषी अभियंता को

दी जिस पर कनिष्ठ अभियन्ता ने कार्य का निरीक्षण कर काम को बंद करवाया एवं डस्ट से भरी जा रही नीवं को पुनः खाली करवायी गई। इस प्रकार परिवादी एवं उसके पिता के विरूद्ध शिकायतों की कार्यवाही में प्रार्थीगण की भूमिका रही है।

उक्त कार्यों की शिकायतों के कारण परिवादी के पिता श्यामलाल ठेकेदार की फर्म को कार्य से वंचित करने से राहुल डाड द्वारा षडयंत्रपूर्वक द्वेष की दुर्भावना से झूठी शिकायत प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी है। प्रकरण के अनुसंधान में अब प्रार्थीगण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रकरण में अनुसंधान पत्रावली मंगवायी गयी थी परन्तु अनुसंधान पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है, न ही कोई कारण बताया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण ने परिवादी द्वारा किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत की मांग करना और मांग के अनुसरण में वक्त सत्यापन ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि ग्रहण करना प्रथम दृष्टया अभिलेख पर है। अतः प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के साथ दस्तावेज के पृष्ठ 35 के अनुसार वर्ष 2017–20 के मध्य शिकायतकर्त्ता राहुल डाड का कोई काम नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा के समक्ष लंबित नहीं रहा है और न ही कोई कार्यादेश जारी हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा द्वारा अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा को पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि दिनांक 25.10.2020 को रविवार के अवकाश का अवसर देखकर डस्ट से नींव भरी जा रही थी जिसकी सूचना अधिशाषी अभियंता को दी जिस पर कनिष्ठ अभियन्ता ने कार्य का निरीक्षण कर काम को बंद करवाया एवं डस्ट से भरी जा रही नीवं को पुनः खाली करवायी गई। इस प्रकार परिवादी एवं उसके पिता के विरूद्ध शिकायतों

की कार्यवाही में प्रार्थीगण की भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थीगण द्वारा परिवादी एवं उसके पिता की फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही किये जाने की वजह से उक्त प्रकरण में मिथ्या तौर पर लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण से अनुसंधान बकाया होना नहीं बताया गया हैं, प्रार्थीगण लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के समस्त तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थीगण पर लगाये गये आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Web Copy - Not Official

परिणामतः प्रार्थीसगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण 1. सतीश शारदा पुत्र राधेश्याम शारदा, 2. ब्रह्मालाल पुत्र भंवरलाल, 3. रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा, विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(DEVENDRA KACHHAWAHA),J

14-16AK/-